SHRI INDRAJIT GUPTA: Mr. Banerjee had written to you already today and you said you would allow. You said it.

MR. SPEAKER: I am going to allow.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): The hon. Minister has laid a statement. My adjournment motion was precisely on this point.

MR. SPEAKER: I did not allow any adjournment motion.

SHRI SAMAR GUHA: In my adjournment motion I said that there was shortage of stocks in all the ration shops in the country..... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : शोर करने से मसले हल करने हैं तो खुशी से कीजिये लेकिन यह पार्लमेन्ट है यहां पर बातें करने से मसले हल किये जाते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम कभी शोर नहीं करते, हमने आपको लिखकर दिया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : सभा पटल पर रखने वाले वक्तव्य दूसरे होते हैं जिनमें साफ साफ लिखा होता है कि सभा पटल पर रखे जायेंगे । यह वक्तव्य तो मंत्री जी को पढ़कर देना चाहिए ।

SHRI SAMAR GUHA: My adjournment motion refers to all the States. But his statements relate only to U.P. and Kerala. There is shortage of foodgrains all over the country including West Bengal, Maharashtra and other States. What steps is Government going to take to supply foodgrains to all the States?

MR. SPEAKER: How can he give information about all the States at such short notice? He can read both the statements and we will pass on.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पढ़ने से क्या होगा ? अगर सवाल पूछने की इजाजत दें तो पढ़ने का कुछ मतलब है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन जो चीज़ रूल्स में बिल्कुल नहीं हो सकती है उसके लिए मैं रूल्स को कैसे तोड़ दूं ? बारबार आप इस चीज़ को क्यों कहते हैं, कोई नया मेम्बर आये तो उसको समझा सकता हूं लेकिन आप तो पुराने हैं ।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझनू) : आज आखिरी दिन है अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा रूल्स को तोड़ कर भी दो चार सवाल पूछ लेने दें ।

अध्यक्ष महोदय : आखिरी दिन क्या सब कुछ तोड़ देना है—यह बिल्कुल गलत बात है । आखिरी वक्त तक जब तक सांस आती है तब तक दिमाग चलता है । यह मेरे अख्तियार में नहीं है, इसलिए मैं कैसे इजाजत दे सकता हूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर पढ़ने के लिए भी मत कहिये, हम ने पढ़ लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर छोड़िये, इसको पढ़ना भी नहीं है ।

श्री मधु लिमये ।

12.27 hrs.

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं । अखबारों में मैंने एक बयान पढ़ा कि जे० के० आर्गेनाईजेशन नाम की संस्था ने, मैंने बैंक आफ बड़ौदा के फ्राड के सम्बन्ध में यहां जो वक्तव्य दिया है उसका प्रतिवाद किया है और उन्होंने कहा है कि मधु लिमये ने जे० के० आर्गेनाईजेशन के सम्बन्ध में गलतबयानी की है । मैं लोक सभा वाद-विवाद की

रपट के आधार पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ने कभी नहीं कहा कि जे० के० आर्गेनाईजेशन के चेक लौटाये गये हैं। दो—मैंने यह भी नही कहा कि जे० के० आर्गेनाईजेशन का खाता बैंक आफ बड़ौदा मे है । मैंने यह भी नही कहा कि जे० के० आर्गेनाईजेशन के चेक बाउन्स हो गये हैं । मैंने जे० के० काटन, जे० के० रेयान आदि कम्पनियो का नाम लिया और कहा कि उनके पजाब नेशनल बैंक की कानपुर वाली नयागज शाखा मे खाते हैं और उनके 1973 के प्रथम 6 महीनो मे 73 चेक लौटाये गये हैं, बाउन्स हुये हैं आश्चर्य की बात है कि इन कम्पनियो ने कोई स्पष्टीकरण नही दिया । पजाब नेशनल बैंक भी खामोश है और जिस सस्था का नाम मैंने लिया ही नही वह मेरे ऊपर गलतबयानी करने का आरोप कर रही है और छीटाकशी कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले उठाने के पहले मैं सावधानी बरतने की कोशिश करता हू । जानकारी को चैक और रीचैक करता हू और जब मुझे लगता है कि मामला सार्वजनिक हित मे है तभी उन को उठाता हू । अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने पूरी सूची आप की आज्ञा से वित्त मत्री को दी । इस मे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तारीख का चैक है, कौन पार्टी है, जे० के० काटन, जे० के० रेयन, जे० के० इलक्ट्रानिक्स आदि कम्पनियो के नाम हैं जो 1956 के कानून की तहत रजिस्टर्ड कम्पनीज है । यह जे० के० आर्गनाइजेशन क्या बला है, मैं नही जानता । किसी ने मुझ को कहा कि यह शाप ऐक्ट या ट्रेड यूनियन ऐक्ट मे रजिस्टर्ड हो गई । यह कैसे हो सकता है मेरी समझ मे नही आता । लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि मैंने उन का नाम तक नही लिया । और अध्यक्ष महोदय चैक नम्बर भी दिये थे, अमाउन्ट्स भी दिये थे । कुछ चैक साढ़े तीन लाख रुपये के, कुछ ढाई लाख रु० के और कुछ एक लाख रुपये के बाउन्स हो गये । और कारण भी मैंने बताये हैं, [2]जो कारण मैंने बताये थे ।

2 Not arranged for
4. Exceed arrangement.

मैंने यह सुना है कि वित्त मत्रालय के बैंकिंग डिपार्टमेंट ने भी इस की जांच करने का आदेश दिया है । ऐसी हलात मे जे० के० आर्गेनाइजेशन कौन है मेरी समझ में नहीं आता । यह मेरे ऊपर छीटाकशी करती है । हमारी ससदीय प्रणाली में यह लिखा है कि मेम्बरो के ऊपर जब रिफ्लेक्शन कास्ट किया जाएगा, छीटाकशी की जायगी, मैं सैकडो केसेज के प्रीसीडेंट्स दे सकता हू, तो यह विशेषाधिकार का उल्लघन है । मेरा अगर इन कम्पनियो ने कोई प्रतिवाद किया होता या पजाब नेशनल बैंक ने कोई प्रतिवाद किया होता तो बात समझ मे आती है कि हा मैंने उन के बारे मे कुछ कहा था इसलिये उन को कहने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई कट्रोवर्सी की, विवाद की गुजायश नही है, यह दलील मामला नही है । सदस्य लोग जो सार्वजनिक काम करते हैं वह इस सदन मे नहीं कर सकेंगे । अगर इस तरह की छीटाकशी की जायगी । अगर इस मे कोई विरोध नही है तो नियम 227 के तहत आप इसे कमेटी को भेज दीजिये । क्या मैंने जे० के० आर्गेनाइजेशन का नाम लिया था ? क्या मैंने यह आरोप किया था कि जे० के० आर्गेनाइजेशन का अकाउन्ट बैंक आफ बड़ौदा मे है ? क्या मैंने कभी यह कहा था कि उन के चैक बाउन्स हो गये ? मैंने जे० के० कम्पनियो का नाम लिया, जिन के नाम इस सूची मे हैं। और उन का कोई स्पष्टीकरण नही है । इसलिये यह जो मामला मैंने उठाया है इस को नियम 227 के तहत आप भेजिये । वर्ना किसी भी मोनोपली हाउस के बारे मे तथ्यो के आधार पर भी हमे बोलने का अधिकार इस पार्लियामेंट मे नही रह जायगा । इसलिये मेहरबानी कर के आप मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिये ।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagora): We fully support him. It is a seserious matter.

MR. SPEAKER: I have seen that report by J.K. Organisation in which Shri Madhu Limaye's name is mentioned. I have seen the news also. The newspaper *Hindustan Times* has published only what the J.K. Organisation had sent them.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): It is an agency report.

MR. SPEAKER: The Secretary, J.K. Organisation, Kanpur, has issued the following press statement:

> "It has been reported in the press that Mr. Madhu Limaye, M.P., while speaking in Parliament about the alleged frauds in the Bank of Baroda said that a number of cheques issued by J.K. Organisation an industrial group, bounced. JK Organisation has no account with the Bank of Baroda, either at Bombay or at Kanpur. As such, the allegations have been made wrongly and the Organisation has incorrectly been named by the hon. Member in this context."

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer): This is a serious thing. It is a deliberate distortion.

MR. SPEAKER: I saw the proceedings of the House. Shri Madhu Limaye had mentioned J.K. group of Industries and not J.K. Organisation.

श्री मधु लिमये : ग्रुप और आर्गेनाइजेशन में फर्क है ।

MR. SPEAKER: Why are you so impatient?

I am not contradicting him. He had mentioned 'group of industries'. Now, Mr. Limaye came with a privilege motion. I allowed him to make a statement other than under a privilege motion. If he wants to treat it as a privilege motion, this paper has just published what they have stated. Privilege against whom? They have based it on the press reports. If he wants it, he must give me the names of papers which have misreported it.

श्री मधु लिमये : मेरा किसी पेपर पर आरोप हीं नहीं है । उन्होंने गलत छापा ही नहीं है । यह लोग पेपर पर आरोप कर रहे हैं । किसी भी अखबार ने जे० के० आर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं लिया । दिस इज फेब्रीकेशन । मेरा कोई पेपर वालों से झगड़ा ही नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आप बैठेंगे तभी मैं बोलूंगा ।

MR. SPEAKER: If no paper has reported this, then how have J.K. organisation people mentioned, "In a certain press report....."

श्री मधु लिमये : आप खुलासा मांगिये उन से । आप चूंकि निर्णय देने जा रहे हैं इसलिये मेहरबानी कर के आप बैठ जाइये और मुझे आधा मिनट सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय तो सब कुछ देख कर, पढ़ कर दे रहा हूं । उस दिन बैठे, सुबह बैठे, प्रिविलेज डाइजेस्ट पढ़ा यह देखने के लिये कि इस हाउस में क्या हुआ । और क्या चाहिये ।

श्री मधु लिमये : अगर आप इतना ऊब गये हैं तब तो बात दूसरी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस "हिन्दुस्तान टाइम्स" पेपर को पूछूंगा कि आप ने जो यह खबर दी है, कहां से दी है ? अगर मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मैं इस को प्रिवलेज कमेटी के पास भेज दूंगा । हम यही फौलो करते रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : इस पर मुझे एतराज नहीं है । जे० के० आर्गेनइजेशन का मैंने पता लगा लिया है । 12, बाराखम्भा रोड पर उन का दफ्तर है, जो उन्हीं से पूछा जाय । इसलिये हिन्दुस्तान टाइम्स को बीच में लाने की क्या जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय : जे० के० आगनाइजेशन को भी पूछेंगे और "हिन्दुस्तान टाइम्स" को भी पूछेंगे । आपके दोस्त तो नहीं हैं पुराने कहीं ?

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष महोदय, आप को इस तरह नहीं बोलना चाहिये । मैंने डायरेक्ट्री से पता लगाया है । आप पता लगा लीजिये, मैं भी कोई जल्दबाजी नहीं करता हूं ।

MR. SPEAKER: You leave it to us. We will get it done. We will enquire as to which J.K. organisation approached *Hindustan Times*. We will enquire all about it from *Hindustan Times* as to who are the people who gave this news, how they gave it and all that.

श्री मधु लिमये : मैं जल्दी बाजी नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि मेम्बर जो अपने कर्त्तव्यों को पूरा करते हैं उस में मोनोपली हाउसेज इस तरह की बाधा न डालें ।

MR. SPEAKER: I will find out everything myself.

12.40 hrs.

MISCELLANEOUS MATTERS

SHRI SAMAR GUHA (Contai): In the course of a call-attention motion there was a discussion whether the text of the suggestion that was made to the Netaji Inquiry Commission by the Minister of External Affairs should be laid on the Table of the House. You had then asked the hon. Minister to give you the text of that letter that was issued to the Netaji Inquiry Commission and said that you would scrutinise it and let the House know wheher a faithful summary of that text could be given. (*Interruptions*) I want to draw your attention to the fact that the finding of the Netaji Inquiry Commission depends on three factors: one, about documents; the second, about Col. Habibur Rahman; and the third, about, the visit to Taiwan. Col. Habibur Rahman is not appearing before the Commission. The Government has not supplied the documents to the Commission. The whole visit to Taiwan which is the reported place of the alleged occurrence of the plane crash by the Netaji Inquiry Commission has been practically sabotaged when Government issued an instruction that they will not have any contact, either official or non-official, with the authorities of the Government of Taiwan or with any other non-official organisation.

I want to submit to you that this may lead to filing a writ petition. From the 10th September, the argument session of the Netaji Inquiry Commission is going to be held. On behalf of the National Committee to assist the Netaji Inquiry Commission, Shri Ashok Sen will argue the case. So, this is very relevant. The text of the letter should be made known because we have to know whether the terms of reference that were given to the Commission have been violated or not, whether the freedom of the Commission has been violated or not, whether the Commission has conducted the inquiry in accordance with the terms of reference on the basis of which the Commission was formed or whether Justice Khosla has somehow allowed his authority to be circumscribed by the directive of the Government to practically sabotage the whole inquiry. For that reason it would be necessary for us to know the text of the letter. Unless we know that the text of the letter will be made available, we shall have to go to the Supreme Court to have a writ petition because without that letter the proceedings on behalf of the Defence Committee of the public cannot be conducted and our lawyer will not be able to argue the case in an efficient manner. Therefore, I would make my first submission that, if you feel satisfied that a faithful summary must be made available, it should be made available.

Even then I will request you that if it is a faithful summary of the text of the letter, it should not be considered as a classified document but it should be made available at least to our Committee.